#### सिस्टम चेन्ज

श्री बृम्हांड नायक चंरण वंदना पति पत्नी के बीच तलाक

# यदि किसी भी कारण पति पत्नी के बीच तलाक होता है तो दोनो को तलाक । कोर्ट के व्दारा मिलेगा ।

- 1. 21 वर्ष के कम लडका । पिता के पास रहेगा ।
- 2. 21 वर्ष के कम कुँवारी लड़की । माँ के पास रहेगी ।

## पत्नी के अवैध प्रेम संबंध के कारण तलाक

- यदि पत्नी के । अवैध प्रेम संबधों के कारण । पित पत्नी मे तलाक होता है । तो पत्नी के उपर
  वर्ष के कम क्ँवारी लड़की को । रखने का विस्वास नहीं किया जायेगा ।
- 2. 21 वर्ष के कम कुँवारी लड़की पिता के पास रहेगी । य सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रहेगी ।
- 3. यदि 21 वर्ष के कम कुँवारी लड़की । सरकारी बाल सरक्षण गृह में रहती है । तो माँ को । 1 लाख रू दन्ड के रूप मे । भारत सरकार मे जमा कराना होगा ।
- 4. यदि 21 वर्ष के कम कुँवारी लड़की । पिता के पास रहती है । । तो माँ को । 1 लाख रू दन्ड के रूप मे । पिता के पास जमा कराना होगा ।
- 5. पी कार्ड धारक ऐसी नारी । शादी के बाद ।, पर पुरूष से प्यार करने वाली को ।
- 6. पी कार्ड मे अंकित । सबूत के आधार पर । समाज मे । अनैनिकता । पित के साथ विस्वास घात । व बच्चों के लिए गैर जिम्मेदार । घर संसार मे कलह । सम्भावित हत्यायें । सम्भावित आत्महत्यायों का । दोसी पाए जाने पर ।
- 7. ऐसी अविस्वासनीय नारी को । कोर्ट व्दारा । 2 वर्ष के लिए जेल भेजा जायेगा ।
- 8. नारी का पी कार्ड । व अन्य कार्ड । पुलिस के पास जमा हो जायेगें ।
- 9. और पति पत्नी के बीच कोर्ट व्दारा । तलाक हो जायेगा ।
- 10. और पति दूसरी शादी कर सकता है।
- 11 नारी को 2 वर्ष बाद जेल से वापस आने पर । पुलिस के पास जमा । पी कार्ड । व अन्य कार्ड । नारी को वापस मिल जायेगें ।
- 12. और वापस सरकारी स्विधायें मिलेंगी । और नारी नई जिन्दगी श्रू कर सकती है ।
- 13. य पति पत्नी दोनो । आपस मे समझौता करके । अपने बच्चो के साथ । नई जिन्दगी की शुरूवात कर सकते है ।

## पित के अवैध प्रेम संबंध के कारण तलाक

- 1. यदि पति के अवैध प्रेम संबंधों के कारण । पति पत्नी में तलाक होता है । तो पति के उपर 21 वर्ष के कम लड़के को । रखने का विस्वास नहीं किया जायेगा ।
- 2. 21 वर्ष के कम लड़का माँ के पास रहेगा । य सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रहेगा ।

#### सिस्टम चेन्ज

### पति पत्नी के बीच तलाक

- यदि 21 वर्ष के कम लडका । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रहता है । तो पिता को । 1 लाख रू दन्ड के रूप मे । भारत सरकार मे जमा कराना होगा ।
- 4. यदि 21 वर्ष के कम लड़का । माँ के पास रहता है । । तो पिता को । 1 लाख रू दन्ड के रूप मे । माँ के पास जमा कराना होगा ।
- 5. पी कार्ड धारक ऐसे पुरूष । शादी के बाद ।, पर से नारी से । प्यार करने वाले को ।
- 6. पी कार्ड मे अंकित । सबूत के आधार पर । समाज मे । अनैनिकता । पति के साथ विस्वास घात । व बच्चों के लिए गैर जिम्मेदार । घर संसार मे कलह । सम्भावित हत्यायें । सम्भावित आत्महत्यायों का । दोसी पाए जाने पर ।
- 7. ऐसी अविस्वासनीय पुरूष को । कोर्ट व्दारा । 2 वर्ष के लिए जेल भेजा जायेगा ।
- 8. प्रूष का पी कार्ड । व अन्य कार्ड । प्लिस के पास जमा हो जायेगें ।
- 9. और पति पत्नी के बीच कोर्ट व्दारा । तलाक हो जायेगा ।
- 10. और पत्नी दूसरी शादी कर सकती है।
- 11. पुरूष को 2 वर्ष बाद जेल से वापस आने पर । पुलिस के पास जमा । पी कार्ड । व अन्य कार्ड । नारी को वापस मिल जायेगें ।
- 12. और वापस सरकारी सुविधायें मिलेंगी । और नारी नई जिन्दगी शुरू कर सकती है ।
- 13. य पति पत्नी दोनो । आपस में समझौता करके । अपने बच्चो के साथ । नई जिन्दगी की शुरूवात कर सकते हैं ।

## गैर समझी मे तलाक

- 1. यदि गैर समझी में । पति पत्नी के बीच तलाक होता है । तो दोनो को तलाक । कोर्ट के व्दारा मिलेगा ।
- 2. दोनो पति पत्नी किसी भी कार्ड धारक । पति पत्नी दोनो का । बाहरी प्रेम प्रसंग न होने पर ।
- 3. सिर्फ गैर समझी के कारण ।
- य परिवारिक कलह के कारण ।
- 5. आपस में सामांजस्य न बिठा पाने के कारण ।
- 6. य दोनो की विचारधारा अलग अलग होने के कारण।
- 7. य अन्य किसी कारण से ।
- 8. गैर समझी मे पति पत्नी दोनो । परिवार । समाज । और बच्चों भविस्य की चिन्ता किए बगैर । दोनो एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं ।
- 9. तो दोनो को तलाक कोर्ट के व्दारा मिलेगा ।
- 10. 21 वर्ष के कम लडका । पिता के पास रहेगा ।

## सिस्टम चेन्ज पति पत्नी के बीच तलाक

- 11. 21 वर्ष के कम कुँवारी लड़की । माँ के पास रहेगी ।
- 12. यदि 21 वर्ष के कम लड़के को पिता । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रखना चाहता है । तो पिता को 1 लाख रू । दन्ड के रूप मे भारत सरकार मे जमा कराना होगा ।
- 13. यदि 21 वर्ष के कम कुँवारी लड़की को माँ । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रखना चाहती है । तो माँ को 1 लाख रू । दन्ड के रूप मे भारत सरकार मे जमा कराना होगा ।
- 14. यदि पति पत्नी दोनो । बच्चों को । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रखना चाहतें है । तब पति पत्नी दोनो को । 1 1 लाख रू दन्ड के रूप मे । भारत सरकार मे जमा कराना होगा ।
- 15. दोनो पति पत्नी पी य अन्य कार्ड मे । धन उपलब्ध न होने पर । 1 वर्ष के अन्दर दन्ड रू सरकार मे जमा कराना होगा ।
- 16. और बच्चों की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी।
- 17. और दोनो अलग अलग जिन्दगी जी सकते है।

## बच्चों के रिस्तेदार

- 1. बच्चों को चाहें तो रिस्तेदार ले सकते है।
- 2. भारत सरकार रिस्तेदारों को बच्चों का की खर्चा नही देगी।
- 3. बच्चों के 21 वर्ष पूरे होने पर । सारी सरकारी सुविधायें मिलेगीं ।
- 4. दोनो पति पत्नी के कार्डों मे धन । पूर्ववत रहेगा ।
- 5. दोनो पति पत्नी कार्डी मे वाहन पूर्ववत नियमित रहेगें।

जय विश्व अग्रणी भारत की

